संख्याः 1149 /XI/2018/ 56(25)2017

प्रेषक,

डा0 पंकज कुमार पाण्डेय,
सचिव (प्रभारी)
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास विभाग,
उत्तराखण्ड, पौड़ी।

ग्राम्य विकास अनुभाग–2 देहरादून, दिनांकः 25 मई, 2018

विषयः– केन्द्र सहायतित योजना "राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना" के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्रथम त्रैमास की द्वितीय किश्त हेतु स्वीकृत केन्द्रांश की धनराशि अवमुक्त किए जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार के पत्र सं J-11060/11/2018-MGNREGA(RE-III) Sl.No.32 दिनांकः 09.05.2018, परियोजना समन्वयक, राज्य मनरेगा प्रकोष्ठ के पत्र संख्या 133/दिनांक 15.05.2018, शासनादेश दिनांक 19.04.2018, दिनांक 07.05.2018 एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 519/दिनांक 02.04.2018 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्राम्य विकास विभाग के अधीन संचालित केन्द्र सहायतित योजना **"राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना"** के सुचारू क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा अवमुक्त की गई केन्द्रांश (75%) की धनराशि रू0 522.97 **लाख (रू0 पांच करोड़ बाईस लाख सतानब्बे हजार मात्र)** वित्तीय वर्ष 2018–19 के आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि में से निम्न विवरणानुसार आपके निर्वतन पर निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखते हुए नियमानुसार व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि "उत्तराखण्ड राज्य रोजगार गारंटी संस्था" के भारतीय स्टेट बैंक के खाता सं0 **31937845478 IFSC CODE- SBIN0010164** CIF सं0 86136642582 शाखा कोड 10164 में हस्तान्तरित कर आहरित की जाएगी।
2. निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि का आवंटन एवं व्यय संबंधित आहरण–वितरण अधिकारियों द्वारा संबंधित जनपद हेतु नियमानुसार किया जायेगा।
3. धनराशि का आवंटन नियमानुसार निर्धारित अनुपातिक आधार पर एवं संबंधित योजना हेतु नियोजन विभाग द्वारा आवंटित परिव्यय की सीमा के अन्तर्गत योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार ही किया जायेगा।
4. प्रश्नगत धनराशि उन्ही कार्यो/प्रयोजनों पर ही व्यय की जायेगी जिनके लिए स्वीकृत की जा रही है, किसी भी स्थिति में इस धनराशि का व्यवर्तन नहीं किया जायेगा।
5. उक्त योजना की धनराशि व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैन्युवल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य समक्ष प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा बजट मैन्युवल, उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट रूल्स–2017 व वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों/आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।
6. उक्त धनराशि को स्वीकृत एवं व्यय करते समय योजना के संबंध में भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी शासनादेशों एवं मानकों का अनुपालन कड़ाई से किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

7. उक्त योजना में अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु नियमानुसार दिये जा रहे अंश का व्यय उन्हीं जातियों के कल्याणार्थ कराये जा रहे कार्यों एवं नियमानुसार मानकों के आधार पर ही किया जायेगा।
8. स्वीकृतियों का रजिस्टर रखा जाय और प्रत्येक माह में स्वीकृति/व्यय संबंधी सूचना अद्यतन करते हुए स्वीकृतियों की प्रति सहित निर्धारित प्रपत्र बी0एम0–13 पर प्रत्येक माह की 05 तारीख तक शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
9. निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय/उपभोग दिनॉक 31.03.2019 तक करते हुए अवशेष अप्रयुक्त धनराशि को समयान्तर्गत समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
10. उक्त परियोजना में किसी प्रकार की अनियमितता होने पर सम्बन्धित अधिकारी सीधे उत्तरदायी होंगे।
11. योजना की भौतिक वित्तीय प्रगति में सुधार हेतु लगातार प्रयास किया जायेगा।

2– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 के आय–व्ययक में **अनुदान संख्या–19** के लेखा शीर्षक 2505–ग्रामीण रोजगार–02–ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनाऐं–101–राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना–01–केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–01–मनरेगा–42 अन्य व्यय से रू0 **402.6869 लाख, अनुदान संख्या–30** के लेखा शीर्षक 2501–ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम–01–समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम–003–प्रशिक्षण–01–केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें–05–राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता से **रू0 99.3643 लाख** तथा **अनुदान संख्या–31** के लेखा शीर्षक 2501–ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम–01–समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम–796–जनजाति क्षेत्र उपयोजना–01–केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं–0106–राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना–42 अन्य व्यय से **रू0 20.9188 लाख** वहन किया जायेगा तथा उपरोक्त सुसंगत इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश **वित्त विभाग–1 के शासनादेश संख्याः 183/XXVII–1/2012 दिनांकः 28 मार्च, 2012** के अधीन साफ्टवेयर से केन्द्रीय स्तर पर एक विशिष्ट नम्बर S1805190153, S1805300154 एवं S1805310155 दिनांक 21.05.2018 जेनरेट कर जारी किए जा रहे हैं। विभागाध्यक्ष स्तर से भी सभी आहरण वितरण अधिकारियों को बजट का आवंटन साफ्टवेयर के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(डा0 पंकज कुमार पाण्डेय)
सचिव (प्रभारी)

संख्याः /2018/56(25)2017 तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखापरीक्षा), महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. महालेखाकार, (ए.एण्ड.ई.), महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
3. निदेशक (मनरेगा), ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
4. परियोजना समन्वयक, राज्य मनरेगा प्रकोष्ठ, सचिवालय परिसर, देहरादून।
5. अनु सचिव, वित्त अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 राम बिलास यादव)
अपर सचिव

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20182019

Secretary, Rural Development (S041)

आवंटन पत्र संख्या - 1149 XI/18/56(25)2017

अनुदान संख्या - 030

अलोटमेंट आई डी - S1805300154

आवंटन पत्र दिनांक -21-May-2018

HOD Name - Rural Development Commissioner (2252)

1: लेखा शीर्षक 2501 - ग्राम्य वकिास के लिए वशिष कार्यक्रम
003 - प्रशक्षिण
05 - राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना (2501

01 - समेकति ग्राम वकिास कार्यक्रम
01 - केन्द्र द्वारा पुरोनधिानति योजनाएँ

Non Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
20 - सहायक अनदान/अंशदान/राज	126556213	9936430	136492643
	126556213	**9936430**	**136492643**

आवंटन पत्र संख्या - 1149 XI/18/56(25)2017

अनुदान संख्या - 019

अलोटमेंट आई डी - S1805190153

आवंटन पत्र दिनांक -21-May-2018

HOD Name - Rural Development Commissioner (2252)

2: लेखा शीर्षक 2505 - ग्रामीण रोजगार
101 - राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना
01 - मनरेगा (2501018000110 से स्थानान्तरति)

02 - ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजनाएँ
01 - केन्द्र द्वारा पुरोनधिानति योजना

Non Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
42 - अनय वयय	512885707	40268690	553154397
	512885707	**40268690**	**553154397**

आवंटन पत्र संख्या - 1149 XI/18/56(25)2017

अनुदान संख्या - 031

अलोटमेंट आई डी - S1805310155

आवंटन पत्र दिनांक -21-May-2018

HOD Name - Rural Development Commissioner (2252)

3: लेखा शीर्षक 2501 - ग्राम वकिास के लिए वशिष कार्यक्रम
796 - जनजाति क्षेत्र उपयोजना
06 - राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना (75 प्रत

01 - समेकति ग्राम वकिास कार्यक्रम
01 - केन्द्र द्वारा पुरोनधिानति योजना

Non Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
42 - अनय वयय	26643413	2091880	28735293
	26643413	**2091880**	**28735293**

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 52297000

संख्याः 1042/XI/18/56(31)2016

प्रेषक,

डा0 पंकज कुमार पाण्डेय,
सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास विभाग,
उत्तराखण्ड, पौड़ी।

ग्राम्य विकास अनुभाग–2 देहरादून, दिनांकः 25 मई, 2018

विषयः– प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु अवमुक्त द्वितीय किश्त की केन्द्रांश की धनराशि वित्तीय वर्ष 2018–19 में स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप निदेशक, राज्य डी0आर0डी0ए0, प्रकोष्ठ देहरादून का पत्र संख्या–76 दिनांक 01 मई, 2018 तथा भारत सरकार के पत्र सं0 J-12037/01/2016-RH(A/C)-1-Uttarakhand दि0 01.05.18, पत्र सं0 J-12037/01/2016-RH(A/C)-1/A-Uttarakhand दि0 01.05.18 एवं J-12037/01/2016-RH(A/C)-1/B-Uttarakhand दि0 01.05.18 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि ग्राम्य विकास विभाग के अधीन संचालित केन्द्र सहायतित **प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण (पूर्व नाम इन्दिरा आवास योजना)** के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु अवमुक्त द्वितीय किश्त की केन्द्रांश की धनराशि ₹6608.015 लाख अवमुक्त की गयी है, जिसका 10 प्रतिशत राज्यांश ₹734.224लाख है, इस प्रकार कुल धनराशि ₹7342.239 लाख की धनराशि अवमुक्त किये जाने का प्रस्ताव है। उक्त संस्तुति तथा अनुरोध के कम में में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत केन्द्रांश ₹6608.015लाख के सापेक्ष केवल **₹13.00 करोड़ (₹ तेरह करोड़ मात्र) वित्तीय वर्ष 2018–19 में** निम्न शर्तो के अधीन आपके निर्वतन पर रखे जाने व योजना की गाइड लाइन के अनुरूप नियमानुसार व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल निम्न शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

01. उपरोक्त धनराशि का आवंटन अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार राज्य क्रियान्वयन एजेन्सी (State Implementing Agency) के खाते में हस्तान्तरित किया जायेगा तथा धनराशि का आहरण एकमुश्त न कर आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा। इस सम्बन्ध स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग वित्त विभाग के शासनादेश सं0–519 दिनांक 02.04.2018 में दिये गये निर्देशानुसार व्यय दिनांकः 31.03.2019 तक सुनिश्चित किया जाय।
02. राज्यांश की धनराशि का आवंटन नियमानुसार निर्धारित अनुपातिक आधार पर एवं बजट की सीमा में किये जाने का दायित्व आपका होगा। प्रश्नगत धनराशि उन्हीं कार्यों/प्रयोजनों पर ही व्यय की जायेगी जिनके लिए स्वीकृत की जा रही है, किसी भी स्थिति में इस धनराशि का व्यवर्तन नहीं किया जायेगा।
03. प्रश्नगत योजना में निर्वतन पर रखी गयी धनराशि में से केन्द्रांश की पूर्व स्वीकृत किश्त की धनराशि के सापेक्ष यदि राज्यांश की अवशेष देयता हो, की नियमानुसार स्वीकृति प्राथमिकता के आधार पर की जाय।
04. उक्त योजना की धनराशि को व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैन्युअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति/प्रोक्योरमेन्ट रूल्स–2017 तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य समक्ष प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
05. उक्त धनराशि को आवंटित एवं व्यय करते समय योजना के संबंध में भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों/मानकों व विशिष्टियों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
06. योजना में अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु नियमानुसार दिये जा रहे अंश का व्यय इन्हीं जातियों के कल्याणार्थ कराये जा रहे कार्यों पर किया जाय।
07. स्वीकृतियों का रजिस्टर रखा जाय और प्रत्येक माह में स्वीकृति/व्यय संबंधी सूचना अद्यतन करते हुए सूचना, स्वीकृतियों की प्रति सहित निर्धारित प्रपत्र बी0एम0–13 पर प्रत्येक माह की 05 तारीख तक शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

08. भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देशानुसार निर्धारित शर्तों एवं स्वीकृत प्रस्तावानुसार व्यय सुनिश्चित किया जाए। नियमानुसार व्यय न होने की स्थिति में सम्बन्धित परियोजना निदेशक का दायित्व निर्धारित किया जाए।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 के आय–व्ययक में **अनुदान सं0– 19** के अधीन लेखा शीर्षक 2501–ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम–01–समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम–800–अन्य व्यय–01/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना 0107– प्रधानमंत्री आवास योजना 42–अन्य व्यय की मद से केन्द्रांश **₹13.00 करोड़ (₹ तेरह करोड़ मात्र)** उक्त मदों से वहन किया जायेगा तथा मानक मदों की सुसंगत इकाइयों के नाम डाला जायगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अधीन साफ्टवेयर से केन्द्रीय स्तर पर एक विशिष्ट नम्बर S1805190116 **दिनांक–16/5/2018** से जेनरेट कर जारी किए जा रहे हैं। विभागाध्यक्ष स्तर से भी सभी आहरण वितरण अधिकारियों को बजट का आवंटन साफ्टवेयर के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

संलग्नक – यथोपरि।

भवदीय,

(डा0 पंकज कुमार पाण्डेय,)
सचिव(प्रभारी)।

संख्याः /XI/2018/56(31)2016 तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) कार्यालय महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. महालेखाकार, (ए एण्ड ई), कौलागढ़, देहरादून।
3. उप निदेशक, राज्य डी0आर0डी0ए0 प्रकोष्ठ, सचिवालय परिसर, देहरादून।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 राम बिलास यादव)
अपर सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20182019

Secretary, Rural Development (S041)

आवंटन पत्र संख्या - 1042 XI/2018/ 56(31)16

अनुदान संख्या - 019

अलोटमेंट आई डी - S1805190116

आवंटन पत्र दिनांक 16-May-2018

HOD Name - Rural Development Commissioner (2252)

1: **लेखा शीर्षक** 2501 - ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम — 01 - समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम

800 - अन्य व्यय

01 - केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

07 - प्रधान मंत्री आवास योजना(75 % के0 स0)

Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
42 - अनय वयय	0	130000000	130000000
	0	130000000	130000000

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 130000000